मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

ीन अधिकारी :– संजय कुमार आर.ए.एस.

व वाद संख्या :–196/2023

1. मदनलाल पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. महेन्द्र पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादीगण

बनाम्

1. साजनराम पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सुमित्रा पत्नी श्रवण पुत्री साजनराम जाति जाट निवासी रामपूरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री

दिनांक :–12.06.2024

वादीगण की ओर से श्री महेश गौड़ अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री भंवरलाल गौड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.06.2024 को संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

चक नंम्बर 4 एम.एस.टी. जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 46/42 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 3.759 हैक्टर कमाण्ड आराजी मे से वादी संख्या 1 को 1.391 हैक्टर आराजी का व वादी संख्या 2 को 1.391 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 4 एम.एस.टी. के खाता संख्या 46/42 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.03 15:32:11 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी